

सं 31011/10/73-स्थापना(क)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय


कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 7 नवम्बर 1978

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - छुट्टी यात्रा रिआयत- को उदार बनाया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 1-9-78 के सप्त संख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में ज्ञे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिया गया उदासीन उपाय (अर्थात् मंत्रालय से यात्रा के योग्य स्थान तक तथा वापसी के लिए छोटे से छोटे सीधे मार्ग के आधार पर मिनटों की यात्रा की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति) छुट्टी यात्रा रिआयत योजना के अधीन भारत में किसी भी स्थान (होन टाउन को छोड़कर) की यात्रा के लिए 1-9-1978 से या उसके बाद की गई सभी यात्राओं पर लागू है, जोह ऐसी यात्राएं 1974-77 के ब्लाक से सम्बन्धित हैं और 1978 के लिए अज्ञेय की गई हैं ।


(आर० सी० गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार


सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग ।

संख्या 31011/10/73-स्थापना(क) नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर, 1978

साप्ताहिक संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1- भारत के निर्देशक और सहायक निर्देशक ।
- 2- संघ लोक सेवा आयोग ।
- 3- केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 4- लोक सेवा/रक्षण तथा सचिवालय ।
- 5- सभी सेवा शासित क्षेत्रों के प्रशासन ।
- 6- वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ई० 4 (अ) शाखा ।
25 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 7 - कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय के सभी सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
- 8- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।


(आर० सी० गुप्ता)

उप सचिव, भारत सरकार